भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2425

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कोयले का अधिकतम उत्पादन और घरेलू ऊर्जा सुरक्षा

2425. श्री उज्जवल देवराव निकम:

श्री सुखेन्दु शेखर रॉय:

श्री शंभू शरण पटेल:

श्री बृज लाल:

श्री अमर पाल मौर्य:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2024-25 के दौरान दर्ज सर्वाधिक कोयला उत्पादन और प्रेषण सहित पिछले एक वर्ष के दौरान घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने में सरकार की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) परिचालन दक्षता में सुधार, कोयला निकासी अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा विद्युत क्षेत्र एवं अन्य प्रमुख उद्योगों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) घरेलू उत्पादन में वृद्धि और बेहतर संभार तंत्र के माध्यम से आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने हेतु कौन-कौन सी पहलें की गई हैं; और

(घ) इन पहलों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं सतत आर्थिक विकास को समर्थन देने में अपेक्षित योगदान क्या होगा?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क): वर्ष 2024-25 और पिछले वर्ष के दौरान देश में घरेलू कोयला उत्पादन और प्रेषण निम्नानुसार है:

[आंकड़े मिलियन टन (मि.ट.) में]

वर्ष	**उत्पादन**	प्रेषण
2024-25	1047.52	1025.33

2025-26 (अनंतिम)	1040.08	1018.29

(ख) और (ग): कोयला संभार तंत्र श्रृंखला में मुद्दों को समाधान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के समन्वय से कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत कोयला संभार तंत्र योजना के माध्यम से देश में कोयला निकासी की अवसंरचना को कोयला उत्पादन में अनुमानित वृद्धि के अनुरूप बढ़ाया जा रहा है। कोयला संभार तंत्र योजना में 33 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं के विकास, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) अवसंरचना का विस्तार, रेल मंत्रालय के परामर्श से रेल निकासी क्षमता में वृद्धि और रेल, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने के लिए, वित्त वर्ष 2029-30 तक 1319 मि.ट. क्षमता वाली 139 एफएमसी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा, कोयला पीएसयू कोयला धारक राज्यों में कोयला निकासी को सुगम बनाने और देश में विद्युत क्षेत्र और अन्य प्रमुख उद्योगों को समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहे हैं।

देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनिज (कोयले सहित) उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने में सक्षम बनाने हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन को त्वरित करने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटियों की सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन किया गया है।

v. राजस्व साझाकरण के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले

उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण अथवा द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

vi. वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन और शर्तें बहुत उदार हैं जिनमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान के सापेक्ष अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को प्रचालित करने के लिए लचीलेपन को प्रोत्साहित करने के लिए उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व हिस्सेदारी मॉडल शामिल हैं।

vii. खानों के त्वरित प्रचालन के लिए कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन करार (सीबीडीपीए) में निर्धारित समय-सीमा को पूरी तरह से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिए मौजूदा 51 महीने से घटाकर 40 महीने कर दिया गया है। इसके अलावा, आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों के लिए इसी तरह 66 महीने से 52 महीने तक कम करने का संशोधन किया गया है।

viii. सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उच्च घरेलू कोयला उत्पादन को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित विनियामक सुधार और नीतिगत पहलें भी की हैं -

- प्रत्यापित प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों, खान और सीम खोलने की अनुमतियों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, और सरकार द्वारा भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) का अनुमोदन किया गया है;
- कोकिंग कोयला को एक महत्वपूर्ण खनिज घोषित किया गया; तथा
- भूमिगत कोयला खनन के लिए प्रोत्साहनों की शुरूआत।

उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, कंटीन्यूयस माइनर्स (सीएम), लॉन्गवॉल (एलडब्ल्यू) और हाईवॉल (एचडब्ल्यू) की संस्थापना के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी (एमपीटी) जैसी नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना रही है। अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही अपने उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर्स और डंपरों में

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है। ओपनकास्ट खानों में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का मानकीकरण किया गया है। कुशल और पर्यावरण के अनुकूल खनन के लिए ओपनकास्ट खानों में सर्फेस माइनर्स को भी संस्थापित किया गया है।

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना करने और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन करने के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयला हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी), क्रशर्स, मोबाइल क्रशर्स, प्री-वे बिन्स आदि जैसे कोयले की निकासी के लिए अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

देश में कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

i. वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, ऐसे मामलों में जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयंत्रों) के 90 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्रों) के 70 प्रतिशत तक कम कर दिया गया था। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कोयले की अधिक आपूर्ति होगी जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

ii. वर्ष 2020 में शुरू की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के माध्यम से एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोयला लिंकेज की अवधि को 30 साल तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2026 में शुरू की गई एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के माध्यम से एनआरएस लिंकेज नीलामी में उप-क्षेत्र "कोयला गैसीकरण के लिए सिनगैस के उत्पादन" के लिए कोयला लिंकेज की अवधि को 30 साल तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस लिंकेज नीलामी में 30 साल तक की अवधि के लिए इन कोयला लिंकेज की अवधि में वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत क्रय करार (पीपीए) आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तर कुछ भी हो। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के इस निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।

iv. एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयला का उपयोग करके स्टील' सृजित किया गया है, जिससे घरेलू कोकिंग कोयला की खपत में वृद्धि होगी और देश में धुले हुए कोकिंग कोयले की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिससे कोकिंग कोयला के आयात में कमी आएगी।

v. कोकिंग कोयला के आयात को कम करने के लिए इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोयला की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोकिंग कोयला मिशन शुरू किया गया है। कोकिंग कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए पहल की गई हैं।

vi. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इस नीति के तहत आईसीबी संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता से आयातित कोयले पर इन आईसीबी संयंत्रों की निर्भरता कम होगी।

vii. मौजूदा ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले का 100 प्रतिशत खरीदने के बाद संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। मौजूदा एफएसए धारकों को एसीक्यू से अधिक कोयले की उपलब्धता से विद्युत संयंत्रों की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादकों को लाभ होगा।

viii. गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी के तहत हाल ही में सृजित की गई कोलसेतु विंडो के तहत कोयला लिंकेज से देश में धुले हुए कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी और इसके परिणामस्वरूप कोयले के आयात में कमी आएगी।

(घ): अवसंरचना के विकास की पहल से मशीनीकृत कोयला प्रबंधन में वृद्धि होगी, लदान समय में कमी आएगी, निकासी दक्षता में सुधार होगा और देश के सभी उपभोक्ता क्षेत्रों को समय पर कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि और कोयले के आयात में कमी के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में योगदान मिलेगा। इन पहलों से देश की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सृजित होंगे।
